सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 29, गुरूवार, *शाके* 1944-जनवरी 19, 2023 *Pausa 29, Thursday , Saka 1944- January 19, 2023*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

संशोधित आदेश

जयपुर, दिसम्बर 13, 2022

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/22/20378 :-विभागीय आदेश क्रमांकःप.8(ग)( ) नियम/डीएलबी/22/19720 दिनांकः 12.12.2022 के बिन्दू संख्या. 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

1. ऐसे व्यवसाय जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुचा सकते है, उन पर नियंत्रण करना व विभागीय आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 31.01.2017 के अनुसार लाईसेन्स देना जो निम्न प्रकार हैः.
   (i). Eating House, Bakery, Lodging House, Sweet – Meat Shops को पब्लिक हैल्थ लाईसेन्स देकर उन पर नियंत्रण करना।
   (ii). Food Handler's License होटल, ढाबा, बेकरी या अन्य कोई व्यवसाय जहॉ किसी व्यक्ति द्वारा फूड हैंडल किया जाताहै, उसे कोई Communicable Disease हो तो उसके द्वारा फूड हैडल करने से फेल सकती है, इस पर नियंत्रण के लिए लाईसेन्स देना।
   (iii). सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विमिंग पूल इत्यादि को जन.स्वास्थ्य की द्वष्टि से एनओसी दिया जाना, जिससे की वे जन.स्वास्थ्य की द्वष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें।
   (iv). ब्यूटी पार्लर, सैलून इत्यादि को एनओसी दिया जाना जिससे की वे जन.स्वास्थ्य की द्वष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें।

विभागीय आदेश दिनांक 12.12.2022 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।